

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 29 अप्रैल, 2016

आय-कर

का.आ.____(अ).-- केंद्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 192, धारा 200 और धारा 206ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (ग्यारहवाँ संशोधन) नियम, 2016 है ।
(2) ये 1 जून, 2016 से प्रवृत्त होंगे ।
2. आय-कर नियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 26ख के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“26ग. धारा 192 के अधीन कटौती के लिए कर्मचारी द्वारा दावों के साक्ष्य का प्रस्तुत किया जाना- (1) निर्धारिती अपनी आय का प्राक्कलन करने या स्रोत पर कटौती की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, प्ररूप सं. 12खख में, उप नियम (2) में निर्दिष्ट दावों का साक्ष्य या विशिष्टियां धारा 192 की उपधारा (1) के अधीन संदाय करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को प्रस्तुत करेगा ।
(2) निर्धारिती उक्त सारणी के स्तंभ (2) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दावे की, नीचे सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट साक्ष्य या विशिष्टियां प्रस्तुत करेगा :--

सारणी

क्रम संख्या	दावे की प्रकृति	साक्ष्य या विशिष्टियां
(1)	(2)	(3)
1.	मकान किराया भत्ता	भू स्वामी/भू स्वामियों का नाम, पता और स्थायी लेखा संख्यांक जहां पर पूर्व वर्ष के दौरान संदत्त कुल किराया एक लाख रुपए से अधिक है
2.	छुट्टी यात्रा रियायत या सहायता	व्यय का साक्ष्य
3.	“गृह संपत्ति से आय” शीर्ष के अधीन ब्याज की कटौती	उधार देने वाले का नाम, पता और स्थायी लेखा संख्यांक
4.	अध्याय 6-क के अधीन कटौती	विनिधान या व्यय का साक्ष्य

3. उक्त नियम के नियम 30 में,-

(क) उक्त नियम (2क) में “सात दिन” शब्दों के स्थान पर “तीस दिन” रखे जाएंगे;

(ख) उक्त नियम (4) में “के जमा खाते में” शब्दों के साथ आरंभ होने वाले और “सूचित करेगा” शब्दों के साथ समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर, निम्नलिखित शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक रखे जाएंगे, अर्थात्:-

“कटौतीकर्ताओं द्वारा कटौती किए गए और उसे रिपोर्ट किए गए कर के संबंध में प्रधान निदेशक, आय कर (प्रणाली) द्वारा प्राधिकृत अभिकरण को प्ररूप संख्या 24छ में विवरणी प्रस्तुत करेगा”;

(ग) उपनियम (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(4अ) उप नियम (4) में निर्दिष्ट विवरणी –

(क) जहां विवरणी मार्च के मास से संबंधित है, वहां 30 अप्रैल को या उसके पहले प्रस्तुत की जाएगी; और

(ख) अन्य किसी दशा में सुसंगत मास के अंत से पंद्रहवें दिन या उससे पहले प्रस्तुत की जाएगी।

(4आ) उपनियम (4) में निर्दिष्ट विवरणी निम्नलिखित रीति में प्रस्तुत की जाएगी, अर्थात् :-

(क) उपनियम (5) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं, रूप विधानों और मानकों के अनुसार अंकीय हस्ताक्षर के अधीन इलेक्ट्रॉनिक रूप से ; अथवा

(ख) उपनियम (5) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं, रूप विधानों और मानकों के अनुसार प्ररूप 27क में विवरणी के सत्यापन के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप से या इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया के माध्यम से सत्यापित रूप में ।

(4इ) उपनियम (4) में निर्दिष्ट व्यक्ति, ऐसे प्रत्येक कटौतीकर्ता, जिसके संबंध में कटौती की गई राशि जमा की गई है, को अभिकरण द्वारा उत्पन्न संख्या (जिसे इसमें इसके पश्चात् बही पहचान संख्या कहा गया है) सूचित करेंगे ।”;

(घ) उपनियम (5) के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(5) प्रधान महानिदेशक, आयकर प्रणाली विवरणियों के प्रस्तुत किए जाने और उनके सत्यापन के प्रयोजनों के लिए प्रक्रियाओं, रूप विधानों और मानकों को विनिर्दिष्ट करेगा तथा विवरणियों की जानकारी और उनका सत्यापन प्रस्तुत करने के संबंध में दिन प्रति दिन प्रशासन के लिए उत्तरदायी होगा ।”।

4. उक्त नियम के नियम 31क में, उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(2) नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट तारीख को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष की तिमाही के लिए उपनियम (1) में निर्दिष्ट विवरणी उक्त सारणी के स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विवरणियां विनिर्दिष्ट नियत तारीख तक दी जाएगी:

सारणी

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष की तिमाही की समाप्ति की तारीख	नियत तारीख
(1)	(2)	(3)
1.	30 जून	वित्तीय वर्ष की 31 जुलाई
2.	30 सितंबर	वित्तीय वर्ष की 31 अक्टूबर
3.	31 दिसंबर	वित्तीय वर्ष की 31 जनवरी
4.	31 मार्च	वित्तीय वर्ष जिसमें कटौती की जाती है, के

5. उक्त नियम के नियम 37क में,-

(क) उक्त नियम (3) में “जमा करने के लिए उत्तरदायी है” शब्दों के साथ आरंभ होने वाले और “सूचित करेगा” शब्दों के साथ समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर, निम्नलिखित शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक रखे जाएंगे, अर्थात्:-

“प्रधान निदेशक आय कर (प्रणाली) द्वारा प्राधिकृत अभिकरण को संग्रहकर्ताओं द्वारा संग्रहीत कर और उसे रिपोर्ट किए गए कर के संबंध में प्ररूप संख्या 24छ में विवरणी जमा करेगा।”;

(ख) उपनियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(3अ) उपनियम (3) में निर्दिष्ट विवरणी-

(क) जहां विवरणी का संबंध मार्च के मास से है वहां 30 अप्रैल को या उससे पहले प्रस्तुत की जाएगी; और

(ख) अन्य किसी दशा में सुसंगत मास के अंत से पंद्रहवें दिन या उससे पहले प्रस्तुत की जाएगी।

(3आ) उपनियम (3) में निर्दिष्ट विवरणी निम्नलिखित रीति में प्रस्तुत की जाएगी, अर्थात् :-

(क) उपनियम (4) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं, रूप विधानों और मानकों के अनुसार अंकीय हस्ताक्षर के अधीन इलेक्ट्रानिक रूप से ; अथवा

(ख) उपनियम (4) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं, रूपविधानों और मानकों के अनुसार प्ररूप 27क में विवरणी के सत्यापन के साथ इलेक्ट्रानिक रूप से या इलेक्ट्रानिक प्रक्रिया के माध्यम से सत्यापित रूप में”;

(ग) उपनियम (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(4) महानिदेशक, आयकर (प्रणाली) विवरणियों के प्रस्तुत किए जाने और उनके सत्यापन के प्रयोजन के लिए प्रक्रियाओं, रूपविधानों और मानकों को विनिर्दिष्ट करेगा तथा सूचना देने और विवरणियों के सत्यापन के संबंध में दिन प्रति दिन के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होगा।”।

6. उक्त नियम के परिशिष्ट 2 में,-

(क) प्ररूप 12खक के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“प्ररूप सं. 12खख
(नियम 26ग देखिए

धारा 192 के अधीन कर की कटौती के लिए कर्मचारी द्वारा दावों की विशिष्टियां दर्शाने
वाला विवरण

1. कर्मचारी का नाम और पता:
2. कर्मचारी का स्थायी लेखा संख्यांक:
3. वित्तीय वर्ष:

दावे और उनके साक्ष्य के विवरण			
क्र.सं.	दावे की प्रकृति	रकम (रुपए में)	साक्ष्य/विशिष्टियां
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	मकान किराया भत्ता (i) भू-स्वामी को संदत्त किराया (ii) भू-स्वामी का नाम (iii) भू-स्वामी का पता (iv) भू-स्वामी का स्थायी लेखा संख्यांक टिप्पण: स्थायी लेखा संख्यांक तब दिया जाएगा जब पूर्व वर्ष के दौरान संदत्त कुल किराया एक लाख रुपए से अधिक है ।		
2.	छुट्टी यात्रा रियायत या सहायता		
3.	उधार पर ब्याज की कटौती (i) उधार देने वाले को संदेय /संदत्त रकम		

	<p>(ii) उधार देने वाले का नाम</p> <p>(iii) उधार देने वाले का पता</p> <p>(iv) उधार देने वाले का स्थायी लेखा संख्यांक</p> <p>(क) वित्तीय संस्था (यदि उपलब्ध हो)</p> <p>(ख) नियोजक (यदि उपलब्ध हो)</p> <p>(ग) अन्य</p>		
4.	<p>अध्याय 6-क के अधीन कटौती</p> <p>(अ) धारा 80ग, 80गगग और 80गगघ</p> <p>(i) धारा 80ग</p> <p>(क) -----</p> <p>(ख) -----</p> <p>(ग) -----</p> <p>(घ) -----</p> <p>(ङ.) -----</p> <p>(च) -----</p> <p>(छ) -----</p> <p>(ii) 80गगग</p> <p>(iii) 80गगघ</p> <p>(आ) अध्याय 6क के अधीन अन्य धाराएं (अर्थात् 80ड., 80छ, 80ननक, आदि)</p> <p>(i) धारा -----</p> <p>(ii) धारा -----</p> <p>(iii) धारा -----</p>		

	(iv) धारा ----- (v.) धारा -----		
	सत्यापन मैं.....पुत्र/पुत्री.....यह प्रमाणित करता हूं/करती हूं कि ऊपर दी गई जानकारी पूर्ण और सही है ।		
	स्थान:.....		
	तारीख:.....	(कर्मचारी के हस्ताक्षर)	
	पदनाम:.....	पूरा नाम..... ” ;	

(ख) प्ररूप संख्या 24छ के बिंदु 7 में, “राज्यों का विवरण” शीर्ष के अधीन, क्रम संख्या 31 पर, तमिलनाडु के पश्चात् और क्रम संख्या 32 पर, त्रिपुरा से पहले “31क तेलंगाना” अंक, अक्षर और शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

(ग) प्ररूप संख्या 24थ के उपाबंध 2 में, प्रविष्टि 356 के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः--

“357	मकान किराया भत्ता दावे की दशा में- भू-स्वामी का नाम और स्थायी लेखा संख्यांक यदि पूर्व वर्ष के दौरान कुल संदाय एक लाख रुपए से अधिक है ।
358	“गृह संपत्ति से आय” शीर्ष के अधीन ब्याज की कटौती की दशा में उधार देने वाले का नाम और स्थायी लेखा संख्यांक (यदि उपलब्ध हो)”;

(घ) प्ररूप संख्या 26थ के उपाबंध के टिप्पणों के बिंदु 7 पर “धारा कोड की सूची निम्नानुसार है” शीर्षक के अधीन धारा 193 से पहले निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात.

1	2	3
“192क	कर्मचारी को देय संचयित अतिशेष का संदाय	192क”;

(ड.) प्ररूप संख्या 27थ के उपाबंध के टिप्पणों के बिंदु 4 में “धारा कोड की सूची निम्नानुसार है” शीर्षक के अधीन, धारा 194ड. से पहले, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः--

1	2	3
“192क	कर्मचारी को देय संचयित अतिशेष का संदाय	192क”।

[अधिसूचना सं. 30/2016, फा.सं. 142/29/2015-टीपीएल]

(पीतांबर दास)
निदेशक (कर नीति और विधान)

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्या का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा अधिसूचित किए गए थे और अंतिम बार उनमें अधिसूचना सं. का.आ. (अ), तारीख. 28/04/2016 द्वारा संशोधन किए गए ।

